# सीवेज से प्रदूषित हो रहा नदी व नहरों का पानी

## सरकारी विभाग खेल रहे हैं मुकदमे व जुर्माने का खेल

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** बीते तीसियों साल से शहर का सारा सीवेज बिना संशोधित किये यमुना नदी, गुड़गांव व आगरा नहरों में धड़ल्ले से डाला जा रहा है। यही काम दिल्ली सरकार भी कर रही है। यमुना नदी तथा उक्त दोनों नहरें दिल्ली से ही सारा अशोधित जल लेकर इस शहर में प्रवेश करती हैं। रही सही कसर फ़रीदाबाद नगर पूरी कर देता है। नदियों व नहरों के जल प्रदूषण को रोकने के लिये सीवेज को शोधित करने के बाद ही इसे नदियों आदि में डाला जा सकता है। इसे लेकर 'कड़े' कानून भी बनाये गये हैं। इसके लिये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) बनाये गये हैं। इन पर सैंकड़ों करोड़ का सरकारी खर्च होता है और करोड़ों की काली कमाई भी इनमें बैठे अधिकारियों की होती है।

सीवेज शोधन के नाम पर सैंकड़ों करोड़ के एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगा जाते हैं जो सीवेज ट्रीट यानी शोधित करने के बजाय अफ़सरों व राजनेताओं की काली कमाई का साधन बनते हैं। इन प्लांटों को लगाने व चलाने के लिये ठेकेदार से इतनी मोटी कमीशनखोरी कर ली जाती है कि प्लांट कभी चलने लायक हो ही नहीं सकता। फरीदाबाद के तीनों प्लांट-मिर्जापुर, बादशाह पुर व प्रतापगढ़ इस हकीकत के जीते-जागते सबूत हैं।

दुर्भाग्य की बात तो यह है कि अमृत समान जल को ज़हर बनाने के लिये जिम्मेदार लोग़ों को न तो कैद होती है और न ही उनसे उस सार्वजनिक धन की वसूली होती है जो उन्होंने एसटीपी लगाने व चलाने के नाम पर गटक ली। उन पर

दंडात्मक कार्यवाही इसलिये नहीं होती क्योंकि वे शासक वर्ग से ही होते हैं और इस नाते किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार भी उन्हीं के पास होता है। ड्रामेबाज़ी के तौर पर एनजीटी तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुकदमे, जुर्माने आदि का खेल खेलते रहते हैं।

अभी मीडिया में आई खबरों के अनुसार बिना शोधित सीवेज नदी व नहरों में बहाने के जुर्म पर एनजीटी ने नगर निगम पर दो करोड़ 90 लाख का जुर्माना किया हैं जो कि आगामी तीन माह में जमा कराना होगा। दरअसल जुर्माना एनजीटी ने कुछ समय पहले किया था जो निगम द्वारा अदा न किये जाने के चलते बढ़-बढ़ कर इतना हो गया। यहां मजेदार एक बात यह भी है कि एनजीटी अथवा प्रदूषण बोर्ड ने स्वत: उक्त जल प्रदूषण का कोई संज्ञान नहीं लिया था। यह संज्ञान तो एक सामाजिक कार्यकर्ता ने बाकायदा एनजीटी के सामने मुकदमा दायर करके दिलाया।

सवाल यह भी पैदा होता है कि यदि निगम यह जुर्माना न भरे तो एनजीटी किसका क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि यहां तैनात सभी अफ़सर तो चलते-फ़िरते मुसाफ़िर हैं? दूसरे यदि उक्त जुर्माना भर भी दिया जाये तो किसको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सरकार का पैसा सरकार को ही तो जायेगा और घूम-फ़िर कर वापस निगम में ही आ जायेगा? इस मामले में जब तक किसी को जिम्मेदार ठहरा कर उसकी जेब से वसूली व उसे जेल की सज़ा नहीं होगी तब तक प्रदूषण का यह कहर जनता पर यूं ही पड़ता रहेगा।

सारे मामले पर निगम के एसई ओमबीर सिंह का कहना है कि मिर्जापुर व प्रतापगढ़ के एसटीपी पब्लिक हेल्थ विभाग ने सन् 1996 में बनाये जिनकी मियाद 20 साल की थी। इसके पूरा होते ही तथा प्लांटों का कबाड़ा बना निगम के मत्थे मढ़ कर पब्लिक हैल्थ वाले चले गये। यहां सवाल यह पैदा होता है कि सीवेज ट्रीटमेंट का विषय नगर निगम का है या पब्लिक हैल्थ वालों का? यदि उन्होंने 20 साल नगर निगम के लिये यह काम कर दिया तो कोई गुनाह नहीं किया। जब निगम को पता था कि मियाद 2016 में पूरी होने वाली है तो उन्होंने स्थिति से निपटने की अग्रिम तैयारी क्यों नहीं की? अब भी एसई फ़र्माते हैं कि जून 2023 तक मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ की शोधन क्षमता क्रमश: 45 एमएलडी से 80 तथा 50 एमएलडी से 100 एमएलडी कर दी जायेगी। आज तक तो निगम का कोई काम निर्धारित समय पर हुआ नहीं, वर्ष भर बाद इसका भी पता चल जायेगा।

### ट्रैक्टर टैंकर भी खलाये जाते हैं नदी-नहरों में

**नगर निगम द्वारा जल स्रोतों में सीवेज डाले जाने के अतिरिक्त यही काम करीब 1000 प्राईवेट ट्रैक्टर टैंकरों द्वारा भी बीते कई वर्षों से किया जा रहा है। नहर पार के ग्रेटर फ़रीदाबाद में बनी सैकड़ों सोसायटियों में लाखों की संख्या में लोग आबाद हैं। दिल्ली बार्डर से लेकर धुर बल्लबगढ़ तक बसे किसी भी गांव में कोई सीवरेज व्यवस्था न होने के चलते जनता ने अपने-अपने सेप्टिक टैंक बनवा रखे हैं जिन्हें ट्रैक्टर टैंकरों द्वारा खलवाया जाता है।**

**इसी तरह तमाम आधुनिक सोसायटियां भी इसी व्यवस्था पर निर्भर हैं। सरकार ने अरबों रुपया बतौर ईडीसी बिल्डरों एवं फ्लैट वासियों से वसूल करके डकार लिया, जबकि इस पैसे से सरकार को सड़क तथा सीवरेज आदि की व्यवस्था करनी चाहिये थी। सरकार की इस बेईमानी के चलते आज के युग में एक ऐसा आधुनिक शहर बसा दिया गया है जिसमें सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है और वह भी देश की राजधानी के साथ सटा कर।**

**ट्रैक्टर टैंकरों द्वारा निकाला जाने वाला यह सीवेज सीधे यमुना नदी तथा आगरा नहर में बहा दिया जाता है। इसके अलावा क्षेत्र में जहां कहीं भी इन्हें खाली जगह मिलती हैं, वहां भी इन्हें खलाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में जगह-जगह सड़े सीवेज के लाब जैसे बन चुके हैं।**

# इस बार राजमार्ग जलभराव से बच सकता है

**फ़रीदाबाद ( म.मो. )** देर से ही सही परन्तु एनएचएआई वालों को समझ तो आई कि जल भराव से कैसे निपटना है? उन्हें समझ आ गया है कि नगर निगम के भरोसे हाईवे को जल भराव से मुक्त नहीं रखा जा सकता। इसके लिये उन्होंने बीते करीब दो सप्ताह से सड़क किनारे रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है।

हाईवे निर्माण का सारा काम देश की नामी-गिरामी कंपनी लार्सेन एन्ड टूब्रो द्वारा किया गया था। लेकिन अब रेन हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्यूबिक कम्पनी को दिया गया है। इस कंपनी की साख को देखते हुए बखूबी समझा जा सकता है कि यह प्रोजेक्ट व इसका लक्ष्य सफ़ल होगा।

दूसरी ओर नगर निगम की ओर से इस दिशा में कोई प्रयास होते नजर नहीं आते। उनका तो वही राग पुराना यानी टेंडर जारी करना और कमीशन खाना, चल रहा है। यही स्थिति स्मार्ट सिटी लिमिटेड व एफ़एमडीए की ही है, क्योंकि इन दोनों संगठनों में वही नालायक, अनपढ़ व लुटेरे इंजीनियर भरे पड़े हैं जो पहले नगर निगम की ऐसी-तैसी कर चुके हैं। इसलिये इनसे भी किसी प्रकार की उमीद रखना अपने आप को धोखा देने जैसा है।

स्मार्ट सिटी लिमिटेड कम्पनी जनता के पैसे से किस तरह जनता की ऐसी-तैसी करने पर जुटी है उसका एक छोटा सा उदाहरण सेक्टर 21 ए बी व सेक्टर डी की विभाजक सड़क है। इस सड़क पर बीते करीब चार साल में कम्पनी ने हज़ारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया है।

पानी निकासी के लिये बनाये गये नाले कोई काम नहीं आये। जिसके चलते सड़क पर दो-दो फ़ीट पानी खड़ा हो जाता है। कम्पनी ने सड़क के दोनो ओर ऊंचा फुटपाथ बना कर यह भी इन्तजाम कर दिया है कि पानी की कोई बूंद सड़क से बह कर दायें-बायें न जा सके। लगभग यही स्थिति सेक्टर 21ए व बी की कुछ बड़ी सड़कों की भी है। यहीं पर स्थित जीवा स्कूल की हालत हल्की सी बरसात में ऐसी हो जाती है कि न कोई स्कूल में आ सके न जा सके।

'हूडा', नगर निगम, स्मार्ट सिटी व एफ़एमडीए द्वारा किये गये तमाम कामों का हाल लगभग एक जैसा ही है क्योंकि इन सबके इंजीनियर एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं और इन सबका उद्देश्य भी लूट-मार तक ही सीमित है। अब समझ नहीं आता कि उपायुक्त महोदय अपने तमाम प्रशासनिक अधिकारों के बल पर ऐसा कौन सा मंत्र मारेंगे जो शहर का सारा पानी निकल जाये। वे 25 की जगह 50 मैजिस्ट्रेट भी तैनात कर सकते हैं। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक तथा सिपाही से लेकर डीसीपी तक को 'बाढ़ ड्यूटी' बताकर तैनात तो कर सकते हैं, लेकिन ये सब मिलकर पानी को कैसे भगा पायेंगे? हां, वे बरसात में खड़े-खड़े शहर की दुर्दशा पर अपना सिर धुनने के साथ-साथ उन तमाम इंजीनियरों व अफ़सरों को कोसते रहेंगे जो इसके लिये जिम्मेवार हैं।

विदित है कि शहर में उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, निगमायुक्त, अतिरिकत निगमायुक्त, स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी, एफएमडीए में मुख्य कार्यकारी तथा 'हूडा' प्रशासक के रूप में सात आईएएस अधिकारी तैनात हैं। इनमें से एक तो अति वरिष्ठ आईएएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव) भी हैं। इनके नीचे एचसीएस अधिकारियों की भी अच्छी-खासी नफ़री है। इस सबके बावजूद शहर की स्थिति बद् से बद्तर होती जा रही है।

### उपायुक्त शहर के तीन अंडरपास ही चालू रखवा सकें तो बड़ी बात होगी

जितेन्द्र यादव उपायुक्त

**विदित है कि शहर में जब भी चार बूंद पानी बरसता है तो शहर के तीनों रेलवे अंडरपास पानी में डूब जाते हैं जिनके द्वारा रेलवे लाइन के इस और उस पार के शहर को जोड़ा हुआ है। एक बार डूबने के बाद दो-दो दिन तक इनका पानी नहीं निकल पाता। ऐसे में मजबूरन शहर वासी ऊपरगामी पुलों से आवागमन करते हैं जिससे वहां ट्रैफ़िक का दबाव अत्यधिक बढ़ जाने से प्राय: जाम की स्थिति बनी रहती हैं। पैदल आने-जाने वाले खास कर स्कूली बच्चों के लिये यह जलभराव बड़ी भारी मुसीबत बन जाता है। सब के लिये दो-चार किलोमीटर का चक्कर काटना आसान नहीं होता। इस चक्कर से बचने के लिये कई लोग रेलवे लाईन एवं दीवार आदि फांदने का प्रयास करते हुए अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। लेकिन प्रशासन को इससे रत्ती भर भी शर्म नहीं।**

**शहर को जलभराव से मुक्त करा सकें या नहीं लेकिन यदि उपायुक्त महोदय इन तीन अंडरपासों को जलभराव से बचा सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी।**

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।